

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़,  
जिला जयपुर

गोरधन व अन्य बनाम कल्याण व अन्य

वाद पत्र संख्या 52/2022

21-03-2022 वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री राजेश कुमार पारीक ने वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस प्रतिवादीगण को जारी हो। पत्रावली दिनांक 13-04-2022 को पेश हो।

*MP*  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

19/04/22 पत्रावली पेश हुई। वकील दादी उपर  
पत्रावली पूर्वानुसार वास्तो तलबी/जवाब  
दिनांक 30/06/22 को पेश

*MP*  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

30/6/22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता सब द्वारा  
अपोजेन्स/कार्य का बहिष्कार करने पर  
पत्रावली पूर्वानुसार वास्तो तलबी/जवाब पेश हुई

22/9/22

22/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील दादी उपर  
पत्रावली पूर्वानुसार वास्तो तलबी/जवाब  
दिनांक 21/12/22 को पेश

08/12/22

पत्रावली पेश हुई। वकील दादी  
अनु०। वकील दादी तथा वादी  
को बप - बप भावण लगवाई  
गई। लेकिन कोई उप० नहीं  
आया। पत्रावली का बतलोकन

क्रिया-वाचा | पत्रावली को इदम  
- एतसी व इदम प्रेक्षीते |  
स्नानरिज क्रिया जाना है | पत्रावली  
के समय मुगल दोषक नामक से कल से  
तथा बाद शनि रात्रिजम स्थित है ।

सुपुत्रक अक्षिकारि  
सुपुत्रक अक्षिकारि  
सुपुत्रक अक्षिकारि